राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........ 9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 24 दिसंबर 2025

वर्ष 16, अंक 68, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

बीएड टीईटी 2011 मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से अभ्यर्थियों में जगी नई उम्मीद..03

अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त गरजा बुलडोजर..04

कर्नाटक: हेट स्पीच को लेकर विधानसभा में विधेयक पारित, नफ़रती भाषण देने पर सात साल तक की क़ैद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली– कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार (18 दिसंबर) को विपक्ष के ज़ोरदार विरोध के बीच कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) विधेयक, 2025 पारित कर दिया. इस विधेयक में नफरती अपराधों के लिए सात साल तक की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. यह विधेयक सार्वजनिक रूप से मौखिक, मुद्रित, सार्वजनिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिए गए भाषण या संवाद पर लागू होगा. नफरत जन्य अपराध करने वालों के लिए विधेयक में कम से कम एक वर्ष की कैद का प्रावधान है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही ऐसे अपराधियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, बार-बार अपराध करने पर सजा कम से कम दो साल होगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस विधेयक को पेश करते हुए गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इस वर्ष 5 मई को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक घृणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया था. उन्होंने कहा कि नफरती भाषणों के कारण हत्याएं और अंतर-सामुदायिक हिंसा हुई है, जिससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा है. गृह मंत्री अनुसार, यह विधेयक धर्म, जाति, लिंग, भाषा और अन्य पहचानों पर आधारित भेदभाव को दूर करके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

जी. परमेश्वर ने आगे कहा कि विधेयक का उद्देश्य घृणास्पद भाषणों और ऐसे अपराधों के प्रसार, प्रकाशन या प्रचार को रोकना है, जो 'समाज में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति असामंजस्य और घृणा उत्पन्न करते हैं.' एक अलग कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां भड़काऊ भाषण देने वाले वक्ताओं के खिलाफ अनिश्चित काल तक निवारक प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं रह सकतीं. उन्होंने कहा, 'अगर हमें सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति का भाषण तनाव पैदा कर सकता है, तो हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे. हम ऐसा कब तक कर सकते हैं? इसलिए, एक कानून आवश्यक है.' उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे भाषणों के बाद अक्सर हिंसक घटनाएं होती हैं. इस विधेयक के तहत सरकार को किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से नफरती भाषण सामग्री हटाने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया है. इसके दायरे में सार्वजनिक स्थानों पर मौखिक, मुद्रित, सार्वजनिक प्रदर्शन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किए गए भाषण, बातचीत या संवाद शामिल हैं।

विधेयक हेट स्पीच को संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रयास करता है इस विधेयक में हेट क्राइम यानी नफरतजन्य अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: 'किसी भी व्यक्ति (जीवित या मृत) या व्यक्तियों के समूह या संगठन के प्रति असामंजस्य, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से नफरती भाषण देना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना, या ऐसे नफरती भाषण को बढ़ावा देना, प्रचारित करना, उकसाना, सहायता करना या प्रयास करना.' विधेयक हेट स्पीच को संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रयास करता है. इसके अलावा, अपराधियों पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है. विधेयक में कहा गया है, 'किसी संगठन या संस्था के मामले में अपराध के समय प्रभारी और जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा.' मालूम हो कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तटीय कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा की सिलसिलेवार घटनाओं के बाद, जिसकी शुरुआत अप्रैल में एक मुस्लिम व्यक्ति अशरफ की पीट-पीटकर हत्या से हुई थी, जून में हेट स्पीच कानून पर चर्चा शुरू की थी।

विपक्ष का विरोध, विधेयक की प्रति फाड़ी

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने विधेयक का विरोध करते हुए उसकी एक प्रति फाड़ दी, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विरोध दर्ज कराने के लिए सदन के वेल में आ गए. उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है. इसके अलावा अशोक ने दावा किया कि प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग पुलिस द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'यह सत्ताधारी सरकार का हथियार है. कुछ लोगों को खुश करने के लिए किसी को जेल भेजा जाएगा.' उन्होंने चेतावनी दी कि पत्रकारों और विपक्षी दलों को भी निशाना बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय न्याय संहिता में भड़काऊ भाषणों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं. उल्लेखनीय है कि शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री बायराथी सुरेश द्वारा तटीय कर्नाटक के मंगलुरु शहर दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक वेदव्यास कामथ के संदर्भ में यह टिप्पणी करने के बाद बहस और भी तीखी हो गई, 'तटीय इलाकों में आग लगाने के बाद आप यहां आग क्यों उगल रहे हैं?' इस टिप्पणी के बाद भाजपा विधायकों ने माफी की मांग की और सदन के वेल में जाकर अध्यक्ष यूटी खादर से आधिकारिक रिकॉर्ड से टिप्पणी हटाने का आग्रह किया।

हंगामा जारी रहने पर परमेश्वर ने विधानसभा से विधेयक का समर्थन करने की अपील की. विपक्षी सदस्यों के विरोध और आगे की बहस में असमर्थ होने पर अध्यक्ष ने दोपहर के भोजन के लिए सदन स्थगित करने से पहले घोषणा की कि विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है. भाजपा विधायकों ने बाद में कहा कि शेष बहस में उनकी भागीदारी के बिना विधेयक पारित होने से वे हैरान हैं. अशोक ने कहा, 'चर्चा के अवसर को सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी.' हालांकि, कानून मंत्री एचके पाटिल ने स्पष्ट किया कि विधेयक पारित हो चुका है और इस पर दोबारा चर्चा करने का कोई मौका नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट- 'अब तक के कदम पूरी तरह फेल', दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर बोले सीजेआई सूर्यकांत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अब तक प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वे पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदूषण में वास्तविक कमी लाने के लिए तात्कालिक नहीं, बल्कि व्यापक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है. सुनवाई के दौरान CJI ने वकीलों पर तंज भी कसा. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे मामलों में एक्सपर्ट से सलाह कम मिलती है और वकील ही एक्सपर्ट बन जाते हैं. बच्चों की सेहत को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्कूल बंद करने और हाइब्रिड मॉडल की व्यवस्था को अस्थायी पॉलिसी करार दिया. बेंच ने कहा कि ये फैसले केवल जोखिम को कुछ समय के लिए कम करने के उद्देश्य से लिए गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि शॉर्ट टर्म उपाय बच्चों और बुजुर्गों को अस्थायी सुरक्षा देने के लिए हैं. बेंच ने टिप्पणी की कि इन्हें सर्दियों की छुट्टियों का ही विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि इस दौरान वैसे भी स्कूल 10 से 15 दिन बंद रहते हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

1. क्या घर पर वैक्यूम क्लीनर है? मिड डे मील बंद होने पर कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?

वकील गुरुस्वामी ने कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि पिछले साल 85 परसेंट गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए. इससे कुपोषण फैल रहा है. जब स्कूल बंद होते हैं तो हम यह पक्का करते हैं कि गरीब बच्चों को खाना न मिले. उन्होंने पूछा कि घर पर बिठाकर बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी. क्या उनके घरों में वैक्यूम क्लीनर हैं. गरीब बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं. वे प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहे हैं।

2. क्या 16 साल के बच्चों की इम्युनिटी ज्यादा है? हाइब्रिड क्लास पर क्या बोले वकील?

सीनियर वकील लूथरा ने हाइब्रिड क्लास की मांग की. उन्होंने कहा कि यह ऑप्शन 12वीं क्लास तक होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 16 से 17 साल के बच्चों की इम्युनिटी ज्यादा बेहतर होती है. एएसजी भाटी ने कहा कि रविवार से गंभीर इमरजेंसी बनी हुई है. बच्चों की जान खतरे में है. सड़कों पर भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है. कोर्ट ने कहा कि अगर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो उसमें भी रिस्क है.

3. क्या ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए है?

कोर्ट में यह बात उठी कि हाइब्रिड पढ़ाई अमीर परिवारों के फेवर में है. गरीब बच्चे इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं. सीजेआई ने कहा कि संपन्न लोग अपने बच्चों को सेफ रख लेंगे. लेकिन बाकी बच्चे रिस्क में रहेंगे. यह सिस्टम भेदभाव पैदा कर सकता है. कोर्ट ने माना कि प्रदूषण से बुजुर्ग भी खतरे में हैं. पार्क जैसी पब्लिक जगहों पर जाना भी सेफ नहीं रह गया है. एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 15 दिसंबर को हालात बेहद गंभीर थे. इसलिए स्कूल बंद करने पड़े।

संक्षिप्त ख़बरें

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST एक्ट के तहत सुनाई 31 साल पुरानी सजा की रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत एक केस की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वर्ष 1994 में दी गई सजा को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कथित जातिसूचक अपमान या गाली किसी बंद दुकान, शोरूम या चारदीवारी के भीतर हुई हो, जहां आम जनता की मौजूदगी या दृश्यता न हो, तो उसे कानून की दृष्टि में 'सार्वजनिक दृष्टि' में किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता। यह फैसला जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने सुनाया है. मामला एक वाहन शोरूम संचालक से जुड़ा था, जिस पर आरोप था कि उसने एक ग्राहक के साथ जातिसूचक गाली-गलौज की और मारपीट की. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को स्ष्ट/स्त्र्ञ एक्ट की धारा 3(1)(×) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. दोषी ठहराए गए शख्स ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।

क्या था पूरा विवाद?

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 'सार्वजनिक दृष्टि' का अर्थ केवल इतना नहीं है कि वहां एक से अधिक लोग मौजूद हों, बल्कि यह आवश्यक है कि कथित अपमान या धमकी ऐसी जगह हो, जहां आरोपी और पीड़ित के अलावा आम लोग उसे देख या सुन सकें. यदि घटना पूरी तरह निजी स्थान के भीतर सीमित हो, तो इस धारा के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते. मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोपी के शोरूम से लोन पर मोटरसाइकिल खरीदी थी. भुगतान से जुड़े विवाद और डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार न करने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोप लगाए गए।

लोगों की मौजूदगी में लागू होती है SC/ST एक्ट की धारा

हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के समय किसी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह की मौजूदगी साबित नहीं हो सकी और पूरा विवाद व्यावसायिक प्रकृति का था. ऐसे में स्ष्ट/स्त्र्ञ एक्ट की उक्त धारा लागू नहीं हो सकती. यह धारा कुछ लोगों की मौजूदगी होने पर ही लागू होती है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द की जाती है. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया।

दूसरे धर्म के लड़के से की शादी तो बाप ने संपत्ति से किया बेदखल, फिर सुप्रीम कोर्ट सुनाया ये फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है. उसने टेस्टेटर (वसीयत करने वाले) की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए एक पिता की वसीयत को वैध ठहराया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शैला जोसेफ को समुदाय से बाहर के लड़के से शादी करने के कारण संपत्ति से वंचित कर दिया था. यह मामला लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद वसीयत की स्वतंत्रता को अहमियत देता है. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलट दिया, जिन्होंने वसीयत को दरकिनार करते हुए एनएस श्रीधरन की संपत्ति को नौ बच्चों में बराबर बांटने का आदेश दिया था।

श्रीधरन के नौ बच्चे थे, लेकिन 1988 में बनाई गई उनकी रजिस्टर्ड वसीयत में शैला को छोड़कर बाकी आठ बच्चों को संपत्ति सौंप दी गई थी. वजह थी शैला का समुदाय से बाहर शादी करना. जजमेंट लिखते हुए जस्टिस चंद्रन ने कहा कि वसीयत स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं. शैला जोसेफ का अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि वसीयत से यह संपत्ति अन्य भाई-बहनों को सौंप दी गई है. कोर्ट में शैला की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी कृष्णन ने तर्क दिया कि उनकी क्लाइंट को कम से कम 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए, जो संपत्ति का नगण्य हिस्सा है. लेकिन बेंच ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे में व्यक्ति की इच्छा के मामले में समानता का सवाल उठता ही नहीं. हम इक्विटी (न्यायसंगत बंटवारे) पर नहीं हैं. टेस्टेटर की इच्छा सर्वोपरि है. उसकी अंतिम वसीयत से विचलन या उसे निरस्त नहीं किया जा सकता।

वसीयत लिखने वाली की इच्छा सर्वोपरिकोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत के कंटेंट पर सावधानी का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपनी संपत्ति कैसे बांटे. अगर वसीयत से सभी वारिसों को वंचित किया जाता, तभी कोर्ट सावधानी बरत सकता था. लेकिन यहां केवल एक बेटी को बाहर किया गया है और इसके लिए स्पष्ट वजह बताई गई है. बेंच ने टिप्पणी की कि वंचित करने की वजह बताई गई है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता हमारे लिए सावधानी का नियम नहीं तय करती. हम टेस्टेटर की जगह खुद को नहीं रख सकते. हम अपनी राय थोप नहीं सकते; उनकी इच्छा उनकी अपनी वजहों से प्रेरित है. फैसले में सिविल अपीलों को मंजूर करते हुए शैला की पार्टिशन सूट को खारिज कर दिया गया. मामला केरल का है, जहां श्रीधरन की मौत के बाद 1990 में भाई-बहनों ने इंजेक्शन सूट दाखिल किया था और वसीयत की कॉपी पेश की थी. शैला ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसे कोर्ट ने बाद में उनके खिलाफ माना।

उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश में एक और नेता पर हमला, NCP लीडर मोतालेब सिकदार के सिर में मारी गई गोली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या से उपजी हिंसा अभी थमी भी नहीं थी कि देश एक बार फिर दहल उठा है. सोमवार को नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के खुलना डिविजनल प्रमुख और पार्टी के केंद्रीय आयोजक मोतालेब सिकदार को भी सिर में गोली मार दी गई है. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब पूरा देश पहले से ही राजनीतिक तनाव, सड़क पर हिंसा और संस्थागत अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है. एक के बाद एक नेताओं पर हमले ने अंतरिम सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बांग्लादेश में NCP कौन सी पार्टी है?

बांग्लादेश में NCP का मतलब नेशनल सिटीजन पार्टी यानी (जातीय नागरिक पार्टी) है. यह 28 फरवरी 2025 को स्थापित हुई. यह पार्टी जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व के बाद बनी थी. इसी आंदोलन में शेख हसीना की सरकार गिरी थी. पार्टी के मुख्य नेता नाहिद इस्लाम हैं. यह एक सेंट्रलिस्ट पार्टी मानी जाती है. शेख हसीना की अवामी लीग का विरोध करती है।

हादी की हत्या के बाद नहीं संभला बांग्लादेश

इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. मीडिया दफ्तरों पर हमले, आगजनी और तोड़फोड़ ने हालात को और बिगाड़ दिया. इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, बाद में उसे जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने समर्थन दिया. लेकिन रविवार को बांग्लादेश पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि हादी हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध की लोकेशन को लेकर उसके पास कोई 'ठोस और विशिष्ट जानकारी' नहीं है. यानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही बैकफुट पर थीं. ऐसे माहौल में मोतालेब सिकदार पर हमला आग में घी डालने जैसा माना जा रहा है।

हादी मर्डर में BNP नेता का बड़ा आरोप

इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता निलोफर चौधरी मोनी ने हादी हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. एक टीवी डिबेट में उन्होंने दावा किया कि हादी पर गोली चलाने के आरोपी को हत्या से पहले दो बार जमानत दिलाई गई थी, और यह जमानत जमात-ए-इस्लामी से जुड़े वरिष्ठ वकील और नेता शिशिर मनीर ने कराई थी. मोनी ने कहा, 'जिस व्यक्ति ने हादी को मारने की कोशिश की, उसके बैकग्राउंड को देखिए. उसे दो बार जमानत किसने दिलाई शिशिर मनीर ने. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रही हूं।'

'माननीय' पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती, अफसरों के लिए इस शब्द के इस्तेमाल पर कही ये बात

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नौकरशाहों और अधिकारियों के लिए माननीय शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है. इस संबंध में कोर्ट ने प्रमुख सचिव (राजस्व) को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें उन्हें ये बताना है कि किस कानून के तहत अपर आयुक्त (अपील) को माननीय अपर आयुक्त कहा गया. जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने योगेश शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा, यह संवैधानिक अधिकारियों और अदालतों की प्रतिष्ठा कम करने का एक छोटा लेकिन निश्चित तरीका है. हाल में यह रुख देखा गया जहां निचले स्तर से उच्चतम स्तर के राज्य के अधिकारियों को पत्राचार और आदेशों में माननीय के साथ संबोधित किया जा रहा है।

ये नौकरशाहों या अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होता

हाई कोर्ट ने कहा, यह अदालत पहले ही बता चुकी है कि माननीय शब्द का इस्तेमाल मंत्रियों और संप्रभु अधिकारियों के मामले में ही किया जाएगा. यह राज्य सरकार के नौकरशाहों या अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होता. इस मामले में इटावा के जिलाधिकारी द्वारा कानपुर के मंडलायुक्त को माननीय मंडलायुक्त के तौर पर संदर्भित किया गया है।

कोर्ट का प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) को निर्देश

कोर्ट ने प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) को अदालत को यह अवगत कराने का निर्देश दिया कि क्या उन अधिकारियों के लिए कोई प्रोटोकॉल है जो अपने पदों या नाम के पहले माननीय शब्द लगाने के पात्र हैं. अदालत ने इस मामले की नए सिरे से सुनवाई की अगली तिथि 19 दिसंबर, 2025 तय की।

तेजाब की बिक्री पर रोक और नियमन पर बड़ा फैसला

उधर, हाई कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने प्रदेश में तेजाब की बिक्री पर रोक और नियमन से जुड़ी जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान मुकदमे में तब्दील कर दिया है. ये याचिका 2014 में दाखिल की गई थी. अदालत ने मूल याचिकाकर्ता की दलील के बाद ये आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इस मुकदमे में आगे और पैरवी करने के इच्छुक नहीं हैं. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी. साथ ही कहा अगर इस मामले को महज इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता इसे वापल लेने का इच्छुक है तो न्याय हित को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए अदालत ने रजिस्ट्री को इस मामले को स्वतः संज्ञान याचिका के तौर पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया।

वायु प्रदूषण के बीच लोक नायक अस्पताल में सांस की दवाओं का संकट, मरीज़ परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली– उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या के बीच राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में बाह्य रोगी (ओपीडी) की संख्या सामान्य से लगभग 20% बढ़ गई है, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़े अस्पताल में श्वसन रोगों के इलाज की दवाओं की कमी सामने आ रही है. लोक नायक अस्पताल में, जहां हर सर्दी में वायु प्रदूषण के कारण सांस की समस्याओं की शिकायतें बढ़ जाती हैं, नेब्युलाइज़र की दवाएं, खांसी की सिरप, मल्टीविटामिन और कई तरह के इनहेलर जैसी जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं. इसकी वजह से मरीजों को ये दवाएं निजी मेडिकल दुकानों से खरीदनी पड़ रही हैं. लोक नायक अस्पताल के ओपीडी मरीजों ने अख़बार के रिपोर्टर को जो पर्चे दिखाए, उनमें कई दवाओं पर फार्मेसी कर्मचारियों ने लाइन खींच दी थी या 'उपलब्ध नहीं' लिख दिया था. मरीजों का कहना है कि उन्हें ये दवाएं बाहर से खरीदने की सलाह दी गई. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में आम तौर पर मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं. इन अस्पतालों में आने वाले कई मरीज आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके लिए बाहर से लिखी गई दवाइयां खरीदना मुश्किल होता है. बताया गया है कि मीटर्ड-डोज इनहेलर (एमडीआई) की कीमत आमतौर पर प्रति यूनिट कुछ सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये से भी अधिक होती है।

दरियागंज की रहने वाली निशा ने बताया कि उनके 7 वर्षीय बेटे नमन के लिए लिखी गई ब्रॉमहेक्सिन सिरप और एक मल्टीविटामिन सिरप अस्पताल की फार्मेसी में उपलब्ध नहीं थे. ब्रॉमहेक्सिन आमतौर पर बलगम पिघलाने, खांसी कम करने और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित मरीजों में सीने की जकड़न दूर करने के लिए दी जाती है. निशा ने कहा कि वे कई वर्षों से लोक नायक अस्पताल आ रही हैं और पिछले कुछ सालों में यहां की दवाओं की अलमारियां लगातार खाली होती जा रही हैं. उन्होंने कहा, 'यहां कुछ भी नहीं मिलता... हमेशा दवाइयां बाहर से ही लेनी पड़ती हैं.' निशा ने बताया कि उनका बेटा पिछले दो हफ्तों से बीमार है और इस दौरान कई बार उसकी नाक से खून भी निकला है. उन्होंने कहा, 'मेरी कोई आमदनी नहीं है और मेरे पति पास के एक स्कूल में पढ़ाते हैं. मुझे बेटे की बहुत चिंता हो रही है.' मयूर विहार में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले 46 वर्षीय प्रेम कुमार ने अख़बार को बताया कि उन्हें लगातार खांसी और सांस फूलने की समस्या के लिए लिखी गई टिओवा एमडीआई, एनएसी 600 टैबलेट और ब्रॉमहेक्सिन दवा अस्पताल में नहीं मिल सकी. प्रेम ने कहा कि वह एक घंटे से ज़्यादा लाइन में खड़े रहे, लेकिन अंत में उन्हें बताया गया कि दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'अब बाहर से ही लेनी पड़ेगी, खर्च तो आएगा ही।' नरेला के 20 वर्षीय छात्र लक्ष्मण ने बताया कि उन्हें अपनी मां के लिए लिखी गई ब्यूडेकोर्ट और इप्राट्रोपियम दवाएं नहीं मिल सकीं. उन्होंने कहा, 'मेरी अभी कोई आमदनी नहीं है, और जब दवाएं उपलब्ध नहीं होतीं तो बहुत परेशानी होती है.' इप्राट्रोपियम एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है, जो क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (सीओपीडी) और कुछ मामलों में अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों में दी जाती है. यह एयरोसोल या नेब्युलाइज़र सॉल्यूशन के साथ-साथ नेज़ल स्प्रे के रूप में भी उपलब्ध होती है. ब्यूडेकोर्ट एक ब्रांडेड दवा है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्यूडेसोनाइड होता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से अस्थमा और सीओपीडी के दीर्घकालिक नियंत्रण या रखरखाव उपचार के लिए किया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस ने जब लोक नायक अस्पताल से फार्मेसी में दवाओं की कमी को लेकर आई शिकायतों पर बयान मांगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया. वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय ने भी इस संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया. अस्पताल के सूत्रों ने आरोप लगाया कि कई महीनों से हर तरह के नेब्युलाइज़र और खांसी की सिरप, साथ ही कई इनहेलर दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

सफलता का अँधेरा: जब सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं

[सफलता की असली परीक्षा: अकेलापन और रिश्ते]

[सच्ची सफलता: केवल ऊँचाई नहीं, साथ देने वाले हाथ]

सफलता, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही आँखों में चमक भर देता है। मंच पर रोशनी, तालियों की गूँज, महँगी गाड़ियाँ, आलीशान घर और हर तरफ़ तारीफों की बारिश। समाज इसे केवल मुकाम नहीं, बल्कि मुकुट समझता है। जिसे यह मिल जाए, वही पूर्ण माना जाता है। लोग सफलता को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, और इसके लिए इंसान अपनी ज़िंदगी की हर छोटी ख़ुशी को पीछे छोड़ देता है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक अनकहा साया भी चलता है, जिसे बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। सफलता की ऊँचाई पर पहुँचते ही इंसान एक अजीब खामोशी में खो जाता है। आवाज़ें दूर चली जाती हैं, हँसी फीकी पड़ जाती है, और भीतर एक ठंडी, सुनसान रात उतर आती है। यही वह क्षण है जब चमक के बीच अकेलेपन का अँधेरा धीरे-धीरे फैलने लगता है, और इंसान अपने भीतर की खोई हुई दुनिया से रूबरू होता है।

सोचिए उस व्यक्ति की कहानी जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को भुला दिया। दिन काम में डूबे रहे, रातें बेचैन रहीं, रिश्ते 'कल' पर टलते गए। परिवार पास था, पर दूरी महसूस होती रही; दोस्त साथ थे, पर उनकी बातें सुनी नहीं गईं। हर पल काम और लक्ष्य के लिए समर्पित रहा, और अपनी ज़रूरतों, अपनी भावनाओं, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया। आज वही व्यक्ति सफलता की ऊँचाई पर है—नाम, दाम और पहचान सब उसके पास हैं। लेकिन जब दिन की रोशनी बुझती है, तो वह अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। फोन में अनगिनत नंबर हैं, लेकिन कोई नहीं जो दिल की हालत पूछे। सफलता ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में उससे वह सब छीन लिया जो उसे इंसान बनाता था—वो अपनापन, वो सहजता, वो बिना शर्त की हँसी और रिश्तों की गर्माहट।

यह अकेलापन किसी विशेष पेशे या वर्ग तक सीमित नहीं है। पर्दे पर चमकते सितारे, मैदान में जीतते खिलाड़ी, किताबों में अमर लेखक, या प्रयोगशालाओं में इतिहास रचते वैज्ञानिक- सभी इस सन्नाटे का सामना करते हैं। जब तालियाँ थम जाती हैं, कैमरे हट जाते हैं, तब बचता है सिर्फ़ एक इंसान और उसकी खामोशी। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, उपलब्धियों से जुड़े होते हैं। लोग साथ चलते हैं, लेकिन कदम सफलता के साथ मिलाते हैं, इंसान के साथ नहीं। जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, साथ चलने वाले कम होते जाते हैं। इस अकेलेपन में सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह दिखाई नहीं देता। बाहर मुस्कान होती है, भीतर टूटन। व्यक्ति खुद को मजबूत दिखाने के लिए दर्द छिपाता है, और यही छिपा दर्द धीरे-धीरे उसे खोखला कर देता है। यादें बार-बार लौटती हैं—माँ की आवाज़, दोस्तों की हँसी, बिना मतलब की बातें। सब कुछ है, लेकिन वह अपनापन नहीं जो कभी बिना माँगे मिल जाता था। सफलता ने जीवन बड़ा कर दिया, लेकिन दिल को छोटा और सूना छोड़ दिया।

समाज इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। हम मान लेते हैं कि जो सफल है, वह खुश होगा। उसकी थकान नहीं देखते, उसकी चुप्पी नहीं सुनते। पैसा सुविधा दे सकता है, सम्मान दिला सकता है, लेकिन किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता, किसी के कंधे पर सिर रखकर रो नहीं सकता। जब इंसान जीवन के अंतिम मोड़ पर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे उपलब्धियों से ज़्यादा रिश्तों की कमी खलती है। तब एहसास होता है कि जीत सब कुछ नहीं होती; कुछ हारें ऐसी होती हैं जो जीवन भर चुभती रहती हैं। यही वह सच है जो समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। जीत को देखकर हम केवल चमक देखते हैं, पर उसकी असली कीमत और कीमत चुकाने वाला अकेलापन नहीं।

कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपकी सारी सफलता गायब हो जाए, तो क्या कोई ऐसा होगा जो फिर भी आपके पास बैठना चाहेगा? अगर उत्तर 'हाँ' है, तो आप सच में सफल हैं। और अगर 'न' है, तो समझ लीजिए कि आपने मंज़िल तो पा ली, लेकिन रास्ते में खुद को खो दिया। सफलता के पीछे नहीं, बल्कि सफलता के साथ चलना ज़रूरी है- रिश्तों को थामे हुए, अपनापन बनाए रखते हुए। जीवन की असली पहचान ऊँचाई नहीं, बल्कि वे हाथ हैं जो अँधेरे में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। यही वह सफलता है जो दिल को भर देती है, और जीवन को वास्तविक अर्थ देती है। सफलता की चमक और अकेलेपन की खामोशी– ये दोनों जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। इसे समझना ही असली परिपक्वता है। जो व्यक्ति केवल मुकाम की ओर भागता है, वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वही वास्तव में अमर बनता है, जो रिश्तों और अपनापन को साथ लेकर चलता है। सफलता केवल बाहरी दुनिया की मान्यता नहीं है; यह भीतर की संतुष्टि, आत्मीयता और उन रिश्तों में है, जो अँधेरे में भी आपका हाथ थामते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ते। यही वह अनमोल सीख है, जिसे हर सच्चा सफल व्यक्ति अपने जीवन भर अपने साथ रखता है।

और सबसे अहम बात—सफलता की असली कसौटी यह नहीं कि आप कितनी ऊँचाई पर पहुँच गए, बल्कि यह कि मुश्किल समय में आपके साथ कौन खड़ा है। यही वह सच्चाई है, जिसे समझकर जीवन में स्थायित्व और सच्चा संतोष मिलता है। पैसा, शोहरत, नाम और सम्मान मायने रखते हैं, लेकिन वे अकेलेपन और दिल की खालीपन को नहीं भर सकते। इसलिए सफलता के साथ हमेशा उन लोगों को थामे रखें, जिन्होंने आपकी शुरुआत से ही आपका साथ दिया। यही वह अद्वितीय सफलता है, जो केवल आपकी चमक ही नहीं, बल्कि आपके दिल को भी रोशन करती है।

प्रो. आरके जैन

घुंघट हो या हिजाब गरिमा का सार्वजनिक उल्लंघन

भारतीय समाज में सदियों से महिलाएँ अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करती रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज में उम्मीद थी कि अब महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन हाल की घटना ने एक साथ कई प्रतिष्ठित पुरुषवादी चेहरों का सच उजागर कर दिया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के एक सरकारी कार्यक्रम में, जब नवनियुक्त महिला डॉक्टर मंच पर अपना पत्र लेने आईं, तो नीतीश कुमार ने उनके चेहरे से हिजाब (या निकाब) खींचकर नीचे कर दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि मंच पर मौजूद अन्य लोग, जिन्हें सभ्य कहा जाता है, हँसने लगते हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा कारणों से जोड़कर बचाव कर रहे हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री शायद पहचान सत्यापित करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए किसी महिला की व्यक्तिगत पसंद और गरिमा का सार्वजनिक उल्लंघन जायज है?

कल्पना कीजिए, अगर उस महिला डॉक्टर की जगह मंच पर हँसने वाले पुरुषों की बेटी, बहू या पत्नी होती, तो क्या उन्हें हँसी आती? शायद नहीं, क्योंकि वे अपनी महिलाओं की गरिमा समझते हैं। दूसरी कल्पना कीजिए: अगर महिलाओं से भरे मंच पर कोई महिला नेता पुरुष को सम्मान दे रही होती और इसी तरह का व्यवहार करती, तो क्या प्रतिक्रिया होती?

सबसे पहले, यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय में था, जहाँ सुरक्षा की सख्त व्यवस्था होती है। नियुक्ति पत्र लेने वाले हर व्यक्ति की आईडी, नाम और फोटो पहले से सत्यापित होते हैं। महिला सुरक्षाकर्मी कपड़ों की जाँच करती हैं। अगर कोई खतरा होता, तो महिला को मंच पर पहुँचने ही नहीं दिया जाता। पहचान पुष्टि के लिए हिजाब हटाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें इशारे से या अलग से कहा जा सकता था। खुद हाथ बढ़ाकर खींचना बदतमीजी ही है।

दूसरे, यह महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार का मामला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन का अधिकार। घूँघट हो या हिजाब, महिला को छूना या खींचना अपराध है। सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार निजता का हनन है।

तीसरे, सत्ता में बैठे व्यक्ति से अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद होती है। नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। बिहार में लड़कियों की शिक्षा और साइकिल योजना उनके क्रेडिट पर हैं। लेकिन यह घटना उन दावों पर सवाल उठाती है। मंच पर हँसते लोग और मुख्यमंत्री का व्यवहार महिलाओं के प्रति पुरुषों की तुच्छ सोच दर्शाता है। और तो और, एनडीए के एक सहयोगी मंत्री ने इस घटना पर बचाव करते हुए बेहद घटिया बयान दिया - 'नकाब ही तो खींचा है, इतना हो गया... कहीं और छू देते तो क्या होता?' यह बयान हंसते हुए दिया गया, जो महिलाओं के प्रति घोर असंवेदनशीलता और पुरुषवादी मानसिकता को पूरी तरह उजागर करता है। ऐसे शब्द न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की गरिमा को और कमजोर करते हैं। यह न केवल एक महिला का अपमान है, बल्कि पूरे समाज को गलत संदेश देता है। समाज में महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान हर हाल में जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। केवल तभी हम सचमुच एक सशक्त और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकेंगे।

अम्बिका कुशवाहा 'अम्बी'

सरकारी खजाने पर बोझ सांसद विधायकों के वेतन में भारी वृद्धि

एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री अपनी पत्नी लालता शास्त्री से अपनी धोती को पुरानी हो जाने पर तुरपाई करवा कर पहन लेते थे लेकिन देश के नागरिकों के टैक्स से आए धन का एक पैसा भी अपने फिजूलखर्ची के लिए लेना पाप समझते थे। इतना ही नहीं वह अपने कपड़े धोने प्रेस करने जैसे घरेलू कार्य के लिए भी पत्नी की मदद लेते थे और सरकारी स्टाफ का निजी घरेलू काम काज मे इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन आज हालात बदल चुके हैं हमारे जन प्रतिनिधि अपना अधिकार और हक मान कर सरकारी धन को खसोटने में लगे हुए हैं अधिकाधिक वेतन वृद्धि यात्रा व दूसरे भत्ते और विदेश यात्रा पर फिजूलखर्ची कर कर्ज में डूबते देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं । पहले सेवा के लिए लोग राजनीति में आते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है समय बीतने के साथ-साथ आज हमारे जनप्रतिनिधि कथित सेवा की पूरी कीमत वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सबसे ताजा उदाहरण ओडिशा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक है।

ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को अपने सदस्यों का मासिक वेतन तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 1.11 लाख रुपये से 3.45 लाख रुपये कर दिया है, जो देश में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले सबसे अधिक सैलरी स्ट्रक्चर में से एक होगा. संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि 17वीं विधानसभा के गठन (जून 2024) से यह संशोधित वेतन प्रभावी होगा. इन संशोधनों के लिए सदन ने सर्वसम्मति से चार विधेयक पारित किए।

मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों की पेंशन में भी लगभग तीन गुना वृद्धि की गई है. विधेयकों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी वर्तमान विधायक की मृत्यु पर उसके परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. साथ ही हर पांच वर्ष में वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है. एक विधेयक यह भी अनुमति देता है कि भविष्य में ऐसी बढ़ोतरी अध्यादेश के माध्यम से भी की जा सकेगी। इससे ओडिशा के विधायक देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बन जाएंगे। उन्हें मिलने वाली रकम केरल, पंजाब, सिक्किम और गोवा के विधायकों के संयुक्त मासिक वेतन के बराबर और एक दर्जन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के दोगुना से अधिक हो जाएगी। उनका मूल मासिक वेतन 35,000 रुपये से बढ़कर लगभग 90,000 रुपये हो जाएगा। पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में 1.20 लाख रुपये मिलने वाले हैं। 10 दिसंबर को राज्य विधान सभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि आठ साल के अंतराल के बाद हुई वेतन वृद्धि में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखे एक पत्र में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि वह अपने वेतन एवं भत्तों में हई वृद्धि 'राज्य के गरीब लोगों के कल्याण के लिए' छोड़ देंगे। गौरतलब है कि असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों ने या तो समितियों का गठन किया है या विधायकों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पेश किए हैं। गोवा जैसे कुछ राज्यों ने वेतन बढ़ाने से परहेज किया है मगर भत्तों में जरूर इजाफा किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि ओडिशा का फैसला इन राज्यों के लिए भी विधायकों का वेतन बढ़ाने का रास्ता साफ कर सकता है।

अब आपको जानकारी देते हैं ओडिशा के बाद तेलंगाना (लगभग 2.7 लाख रुपये), महाराष्ट्र (2.6 लाख रुपये), मणिपुर (2.5 लाख रुपये) और उत्तर प्रदेश (2.4 लाख रुपये) इसमें आगे हैं। नौ राज्यों की विधान सभाओं में विधायक 2 लाख रुपये प्रति माह से अधिक वेतन लेते हैं जबकि 17 राज्यों में वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। केरल के विधायकों का वेतन लगभग 70,000 रुपये प्रति माह है जो देश में सबसे कम है। इसके बाद पंजाब (84,000 रुपये) और सिक्किम, गोवा और दिल्ली आते हैं जहां वेतन 1 लाख रुपये से थोड़े कम हैं। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से वेतन में यह बढ़ोतरी मेल नहीं खाती है। मसलन ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6 लाख रुपये है जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ऊपर है मगर राज्य रैंकिंग में निचले पायदान पर है। सिक्किम देश का सबसे अमीर राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 5.8 लाख रुपये है। वहां विधायकों को लगभग 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इस रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले गोवा और दिल्ली भी विधायकों को अधिक वेतन देने वालों में शुमार नहीं हैं वहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गरीब राज्य विधायकों को अपेक्षाकृत अधिक वेतन देते हैं। मध्यप्रदेश में विधायकों और अन्य माननीय पदाधिकारियों की सैलरी बढ़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है. सरकार ने उनके वेतन और भत्तों में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की आय में बड़ा इजाफा होगामध्यप्रदेश के विधायकों के वेतन में अब 60 हजार रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है. पहले उन्हें जो वेतन मिल रहा था, उसमें बढ़ोतरी के बाद उनकी नई सैलरी 1 लाख 70 हजार रुपए प्रति माह हो जाएगी. यह बढ़ोतरी विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर की गई है।

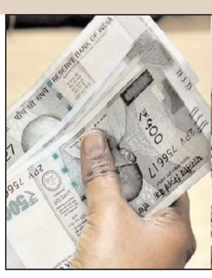

सरकार ने न केवल विधायकों की सैलरी बढ़ाई है, बल्कि पूर्व विधायकों के पेंशन भत्ते में भी वृद्धि की गई है. पहले उन्हें जो राशि मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 58 हजार रुपए प्रति माह करने पर सहमति बन चुकी है।

गौरतलब है कि विधायक उन विधेयकों पर मतदान करते हैं जो उनके वेतन-भत्तों में इजाफा करते हैं। यह कवायद अमूमन एक समिति की सिफारिशों के बाद शुरू हो जाती है। मूल वेतन के अलावा उन्हें कार्यालय और निर्वाचन क्षेत्र के खर्चों के लिए भत्ते, निःशुल्क आवास सुविधा, यात्रा रियायतें और बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों के वेतन में मार्च में 24 प्रतिशत वृद्धि की गई जिससे 1 अप्रैल 2023 से उनका मासिक वेतन लगभग 1.24 लाख रुपये हो गया है। यह बढ़ोतरी वित्त अधिनियम, 2018 में पेश किए गए संशोधनों बाद हुआ जिनके तहत सांसदों के वेतन को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति से जोड़ा गया और प्रत्येक पांच वर्षों में इसमें संशोधन अनिवार्य किया गया। लोकसभा के पूर्व सचिव पी डी टी आचार्य अनुसार विधायकों के वेतन के लिए कोई एक समान या अनिवार्य मानदंड नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद की तरह प्रत्येक विधान सभा के पास अपने सदस्यों के वेतन तय करने का अधिकार है। आम तौर पर थोड़ा बहुत विरोध होता है मगर ऐसे संशोधन सर्वसम्मति से पारित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों और व्यापक वेतन संरचनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। संसद हो या विधानसभाएं वहां मुद्दों को लेकर जब बहस या चर्चा शुरू होती है तो उस दौरान पक्ष और विपक्ष जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसको देखकर कई बार तो जनसाधारण भी शर्मसार हो जाता है। लेकिन जब अपने वेतन और भत्ता को बढ़ाने का प्रस्ताव आये तो वह सर्वसम्मति से पारित होता है। यह बदलाव की बयार है जिसमें सेवा की कम और सुविधा व वेतन वसूली की भावना शीर्ष पर है अब देश के जनता से चुने नुमाइंदे घर फूंक तमाशा देखने का जोखिम नहीं उठाते बल्कि सरकारी सुविधाओं का भरपूर दोहन कर अधिकाधिक सुविधा व विलासिता पूर्ण जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं वही येन-केन प्रकरेण सात पीढ़ियों के लिए इंतजाम करने की जुगुप्सा में नैतिकता को तिलांजलि देने से भी नहीं चूक रहे हैं।

मनोज कुमार अग्रवाल

संपादकीय

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस- संवैधानिक सुरक्षा से सामाजिक सद्भाव तक

लोकतंत्र की सक्षमता और उसकी परिपक्वता का सबसे सटीक पैमाना यह होता है कि वह अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाने वाला अल्पसंख्यक अधिकार दिवस केवल एक वार्षिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उस संकल्प को दोहराने का अवसर है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने आज़ादी की दहलीज पर लिया था। इसी दिन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा' को अंगीकार किया था, जिसने वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मानक की आधारशिला रखी जहाँ बहुमत के शोर में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान, भाषा और संस्कृति कहीं गुम न हो जाए।

भारत जैसे एक विशाल, बहुलवादी और विविधतापूर्ण देश में इस दिवस की प्रासंगिकता और भी गहरी हो जाती है क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र अपनी संस्थागत मजबूती के लिए नहीं, बल्कि अपनी समावेशी समावेशिता के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय से ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को एक वैकल्पिक उदारता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक दायित्व के रूप में देखा गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने यह स्पष्ट समझा था कि एक वास्तविक लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने सबसे छोटे समुदायों को कितना सुरक्षित महसूस कराता है। इसी विज़न का परिणाम है कि आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट लिपि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के साथ-साथ अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अटूट अधिकार देते हैं।

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित करके अपनी प्रतिबद्धता को कानूनी रूप दिया। 2004 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अलग से गठन होना इस दिशा में एक और बड़ा कदम था, जिसने योजनाओं को कागजों से निकालकर धरातल पर लाने का प्रयास किया। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में जोड़ना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज जब हम इस दिवस को मनाते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि चुनौतियां केवल संवैधानिक ढांचों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं में भी समाया हुआ है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी तरह आर्थिक भागीदारी के मोर्चे पर भी कई विसंगतियां नजर आती हैं। सच्चर समिति (2006) की रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों की, विशेषकर मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का जो खाका खींचा था, वह आज भी नीति-निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन अंतरालों को पाटने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी एक लंबा सफर तय करना बाकी है।

भारत के अल्पसंख्यक समुदायों ने देश के गौरव में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है। चाहे वह पारसी समुदाय का औद्योगिक योगदान हो, सिख समुदाय का शौर्य और सेवा भाव हो, या फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया कार्य—इन सबके बिना आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी है। लेकिन विकास के इस सफर में 'डिजिटल डिवाइड' और महामारी के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक असमानता ने नई जटिलताएं पैदा कर दी हैं। कोविड-19 के दौर में जिस तरह से हाशिए पर खड़े समुदायों के रोजगार और शिक्षा प्रभावित हुए, उसने हमें याद दिलाया कि समावेशी विकास के लिए केवल नीतियां पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और गति की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही, हाल के वर्षों में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण और लिंचिंग जैसी घटनाओं ने एक असहज वातावरण सृजित किया है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव के ताने-बाने के लिए चिंता का विषय है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का वास्तविक महत्व तभी सार्थक होगा जब हम केवल प्रतीकात्मक सेमिनार और प्रकाशनों तक सीमित न रहकर, जमीनी स्तर पर एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करें।

वैश्विक संदर्भ में देखें तो अल्पसंख्यक अधिकार अब केवल किसी एक देश का आंतरिक मामला नहीं रह गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी 10) का उद्देश्य भी असमानता को कम करना है। भारत ने हमेशा से 'वसुधैव कुटुंबकम' के विचार को प्राथमिकता दी है, लेकिन इस वैश्विक छवि को बनाए रखने के लिए घरेलू स्तर पर आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के पैमानों को और अधिक सख्त करना होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना समय की मांग है ताकि वह केवल एक सलाहकार संस्था बनकर न रह जाए। इसके अलावा, डेटा की कमी एक बड़ी बाधा है; बिना सटीक और अद्यतन अल्पसंख्यक-विशिष्ट जनगणना के, कल्याणकारी योजनाओं का सटीक लक्ष्यीकरण असंभव है। आज के डिजिटल युग में शिकायत निवारण प्रणालियों को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना अनिवार्य है, ताकि सुदूर इलाकों में बैठा कोई भी अल्पसंख्यक नागरिक अपने अधिकारों के हनन पर तुरंत आवाज़ उठा सके।

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस वास्तव में बहुमत और अल्पमत के बीच एक स्वस्थ सेतु बनाने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक सुदृढ़ राष्ट्र वही होता है जहाँ धर्मनिरपेक्षता केवल एक राजनीतिक नारा न होकर एक सामाजिक संस्कार हो। 'सबका साथ, सबका विकास' और 'सबका विश्वास' के नारे को चरितार्थ करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन समुदायों के भय को दूर करें जो स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। कौशल विकास, छात्रवृत्ति योजनाओं का बेहतर विस्तार और अंतर-धार्मिक संवाद के माध्यम से ही हम उस बहुलवादी समाज को बचा सकते हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था।

अंततः, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण कोई विशेष सुविधा नहीं है, बल्कि यह उस न्यायपूर्ण समाज की नींव है जहाँ पहचान को खतरा नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति को सुरक्षित रखना हम प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है। समावेशी भारत की ओर बढ़ते कदम ही हमारे लोकतंत्र को दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश करेंगे।

महेन्द्र तिवारी

टूटती उम्मीदों का समाज और आत्महत्या का बढ़ता संकट, सभ्य समाज के लिए करुणाजनक स्थिति

स्कूल के बच्चों से लेकर सुरक्षाबलों के जवानों तक आत्महत्या की घटनाएं आज भारतीय समाज की सबसे पीड़ादायक और चिंताजनक सच्चाइयों में शामिल हो चुकी हैं। यह केवल किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती बल्कि पूरे परिवार के लिए ऐसा कुठाराघात बन जाती है, जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो पाती। हाल के वर्षों में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या अब किसी एक वर्ग या आयु समूह तक सीमित नहीं रही, बल्कि किशोरों, युवाओं, विवाहित महिलाओं, कर्मचारियों और देश की सुरक्षा में तैनात जवानों तक फैली हुई है।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते तीन वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 438 जवानों ने आत्महत्या की। हालांकि सरकार का कहना है कि आत्महत्या के मामलों में हाल के वर्षों में कमी आई है। 2023 में जहां 157 आत्महत्याएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 133 रह गई। यह गिरावट राहत देने वाली लग सकती है, लेकिन समस्या की गंभीरता को कम नहीं करती। इसके साथ ही 2014 के बाद से अब तक 23,360 जवानों द्वारा इस्तीफा दिया जाना यह संकेत देता है कि सुरक्षाबलों के भीतर मानसिक दबाव, कार्यस्थल तनाव और पारिवारिक समस्याएं गहराई से मौजूद हैं।

इस्तीफों के आंकड़े भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। सबसे अधिक इस्तीफे सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स से जुड़े हैं। बीएसएफ में 7,493, सीआरपीएफ में 7,456 और सीआईएसएफ में 4,137 जवानों ने सेवा छोड़ी। केवल 2025 तक ही 3,077 इस्तीफे दर्ज किए गए जिनमें से 1,157 बीएसएफ से हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अनुशासन, देशसेवा और सम्मान के बावजूद जवान भी इंसान हैं, जिनकी भावनाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और मानसिक सीमाएं होती हैं। लगातार तनावपूर्ण ड्यूटी, लंबी तैनाती, परिवार से दूरी और पदोन्नति या छुट्टी से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे उन्हें भीतर से तोड़ देती हैं।

आत्महत्या की समस्या केवल सुरक्षाबलों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 में देशभर में 1,71,418 लोगों ने आत्महत्या की। यह संख्या हर दिन औसतन 470 से अधिक मौतों को दर्शाती है। इन आत्महत्याओं का एक बड़ा कारण शादी और वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां बताई गई हैं। वैवाहिक कलह, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अवैध संबंधों का शक, तलाक की आशंका और सामाजिक दबाव कई लोगों को मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देते हैं कि वे जीवन समाप्त करने जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं।

महिलाओं के लिए यह दौर विशेष रूप से निराशाजनक बनता जा रहा है। पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर होने के बावजूद सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक दबाव और रिश्तों में सम्मान की कमी उन्हें भीतर से तोड़ देती है। कई मामलों में महिलाएं लंबे समय तक मानसिक पीड़ा सहती रहती हैं, लेकिन समाज और परिवार उनकी वेदना को गंभीरता से नहीं लेता। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आत्महत्या उन्हें एकमात्र समाधान प्रतीत होने लगती है। इसे केवल व्यक्तिगत कमजोरी कहना नैतिक, कानूनी और संस्थागत विफलता को छिपाने जैसा है।

सबसे अधिक चिंता का विषय किशोरावस्था में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति है। स्कूल जाने वाले बच्चे और टीनेजर आज जिस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, वह पहले कभी इतना गहरा नहीं था। पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव, माता-पिता की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया पर तुलना, साइबर बुलिंग और भावनात्मक अस्थिरता किशोरों को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। इस उम्र में मस्तिष्क और भावनाएं दोनों विकास की अवस्था में होती हैं, इसलिए छोटी-छोटी असफलताएं भी उन्हें जीवन की सबसे बड़ी हार लगने लगती हैं।

कई किशोर अपने माता-पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते। डर रहता है कि डांट पड़ेगी, तुलना होगी या उनकी बातों को हल्के में लिया जाएगा। स्कूलों में काउंसलिंग की व्यवस्था अब भी सीमित है और जहां है भी, वहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर झिझक बनी रहती है। परिणामस्वरूप बच्चे अपने दर्द को भीतर दबाते रहते हैं, जो किसी एक क्षण में विस्फोट बनकर आत्महत्या का कारण बन जाता है। आत्महत्या के कारणों पर गौर करें तो यह साफ दिखता है कि यह किसी एक वजह से नहीं होती। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, कर्ज, पारिवारिक कलह, प्रेम संबंधों में असफलता, सामाजिक अपमान, अकेलापन, अवसाद और नशे की लत जैसे कई कारण मिलकर व्यक्ति को इस अंधेरे रास्ते की ओर धकेलते हैं। किशोरों के मामले में पहचान का संकट, अस्वीकृति का डर और भविष्य को

लेकर अनिश्चितता प्रमुख कारण बनते हैं।

इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केवल कानून बनाना या आंकड़े पेश करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है लोगों के मन की वेदना को समझने की। परिवार को पहला सहारा बनना होगा। माता-पिता को बच्चों की उपलब्धियों के साथ-साथ उनकी असफलताओं को भी स्वीकार करना सीखना होगा। तुलना की जगह संवाद को महत्व देना होगा। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना सीख सकें।

सरकारी और निजी स्तर पर काउंसलिंग सेवाओं को सुलभ और सामान्य बनाना समय की मांग है। सुरक्षाबलों में नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और परिवार से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील नीतियां अपनानी होंगी। जवानों को यह भरोसा दिया जाना चाहिए कि मानसिक परेशानी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मानवीय स्थिति है, जिसका समाधान संभव है।

महिलाओं के लिए मजबूत सामाजिक समर्थन तंत्र तैयार करना होगा। घरेलू हिंसा और वैवाहिक उत्पीड़न के मामलों में त्वरित न्याय और सुरक्षित वातावरण देना जरूरी है। समाज को यह समझना होगा कि आत्महत्या किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आत्महत्या रोकथाम के उपाय तभी सफल हो सकते हैं जब हम संवेदनशीलता, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दें। जीवन की किसी भी कठिन घड़ी में यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि वह अकेला नहीं है और उसकी पीड़ा सुनी जाएगी। उम्मीद की एक किरण कई बार किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। जब समाज यह जिम्मेदारी समझेगा, तभी टूटती उम्मीदों के इस दौर में जीवन को फिर से संबल मिल सकेगा।

कांतिलाल मांडोत

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बन्धित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग गंभीर घायल

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली रोड स्थित बाल्हेमऊ नहर पुलिया के पास बुधवार को तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए।जानकारी के अनुसार पिलखा गांव निवासी जुगुल किशोर (60) साइकिल से रेल कोच फैक्ट्री की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।आसपास के लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

रंजिश में ईंट मार कर सिर फोड़ा

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पूरे विजई मजरे मेंरुई गांव में बुधवार को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षो में मारपीट हो गई। मारपीट में एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोटे आ गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है। गांव निवासी राजेंद्र यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह सुबह दरवाजा साफ कर रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही मुन्ना यादव व उनकी बेटी कोमल गाली गलौज करने लगी एतराज करने पर लाठी डंडे और ईट के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

ट्रक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ रोड पर डिहवा चौराहे के पास हुई सड़क दुर्घटना के मामले में घायल महिला की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया। पूरे लालबेग मजरे बहाई कृष्ण कुमारी ने पुलिस को तहरीर बताया कि गत शनिवार को उसकी मां श्यामा देवी (60) पिता छत्रपाल के साथ साइकिल से बाजार से लौट रही थीं। डिहवा चौराहे के पास पीछे से आए बेकाबू ट्रक ने तेज रफ्तार में साइकिल में टक्कर मार दी।टक्कर लगते ही उसकी मां सड़क पर गिर गई। ट्रक का पहिया उसके बाएँ हाथ पर चढ़ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। ट्रक पुलिस के कब्जे में है।

सूचना

मैंने अपने पुत्र अब्दुल्लाह का नाम बदलकर अब्दुल्लाह इरफान रख दिया है तथा उसके घर का पता मिरदही टोला छोटा चौराहा बिसवा सीतापुर से बदलकर अब ष्/श इरफान खसरा नंश- 36, दीनदयाल पुरम्, तकरोही इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226016 हो गया है भविष्य में उसे उपरोक्त नाम व पते से पहचाना7 जाए इरफान पुत्र खुर्शीद आलम दीनदयाल पुरम्, तकरोही इंदिरा नगर लखनऊ।

सूचना

मेरी शादी से पहले मेरा नाम नाज़िया बेगम (NAZIA BEAGUM) पुत्री श्री जमील अहमद खाँ (JAMIL AHMED KHAN) चलता था, जोकि मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों में भी दर्ज है। शादी के बाद से मेरा नाम नाज़िया रहमान (NAZIYA RAHMAN) पत्नी श्री मोहम्मद खुश्तर रहमान खाँ (MOHAMMAD KHUSHTAR RAHMAN KHAN) निवासी- 273-बी, मिरदही टोला, पुराना सीतापुर, तहसील व ज़िला सीतापुर है। भविष्य में मुझे नाज़िया रहमान (NAZIYA RAHMAN) पत्नी श्री मोहम्मद खुश्तर रहमान खाँ (MOHAMMAD KHUSHTAR RAHMAN KHAN) के नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

ट्रक ने मासूम को कुचला हुई मौत सड़क पार करते समय हुआ हादसा, चालक हिरासत में वाहन जब्त

● ट्रक ने मासूम को कुचला हुई मौत सड़क पार करते समय हुआ हादसा, चालक हिरासत में वाहन जब्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के पिसावां थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में दो वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा महोली-बरगावां मार्ग पर रमखेड़ा गांव के पास हुआ जहां सड़क पार करते समय एक ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन जब्त कर लिया है। सेज खुर्द गांव निवासी महेंद्र का दो वर्षीय बेटा कान्हा बुधवार सुबह घर के पास दुकान से नमकीन लेने सड़क पार कर रहा था इसी दौरान बरगावां की ओर से महोली की तरफ जा रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे कान्हा की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार में था घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। रमखेड़ा गांव निवासी छोटकने, जो बच्चे के नाना हैं, ने थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि कान्हा करीब 15 दिन पहले अपनी मां के साथ ननिहाल आया था और अक्सर घर के पास खेलता था परिजनों ने ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पिसावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस ने मौके से ट्रक (नंबर यूपी 14 जीटी 6348) को बरामद कर लिया है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है!!

बीएड टीईटी 2011 मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से अभ्यर्थियों में जगी नई उम्मीद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। बीएड टीईटी 2011 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के सकारात्मक रुख के बाद लंबे समय से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। नियुक्ति की संभावना को लेकर बीएड टीईटी अभ्यर्थियों में सक्रियता बढ़ गई है। संगठन स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में कस्बे के निराला नगर में बुधवार को बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के नेता मान बहादुर सिंह ने की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की ताजा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मान बहादुर सिंह ने कहा कि उनका संगठन वर्ष 2011 से लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्षो बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएड टीईटी से जुड़े विभिन्न संगठनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है, जो अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। कोर्ट द्वारा सरकार से इस मामले में पक्ष मांगे जाने को उन्होंने सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार का पक्ष अभ्यर्थियों के हित में आता है तो नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है।

यही कारण है कि याचिकाकर्ता बने अभ्यर्थी अब अपने अपने संगठनों और ग्रुप के नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। अभ्यर्थी आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में अभ्यर्थियों ने एकजुट रहकर कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया। साथ ही निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक संगठन पूरी तरह सक्रिय रहेगा। बैठक में रोहित सिंह, संजय कुमार, संजीव, अखिलेश सिंह, आशीष, बसंत तिवारी पवन द्विवेदी सहित कई अभ्यर्थी मौजूद रहे।

भदोही में गांजा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने मंगलवार शाम एक ट्रक से तीन क्विंटल 78 किलोग्राम अवैध गाजा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामद गांजा की कीमत 80 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शुभम अग्रवाल ने बताया कि शाम को यहां राष्ट्रीय राजमार्ग -19 पर गोपीगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबा के निकट वाहन जांच के दौरान ट्रक कंटेनर को रोक कर जांच की गई, जिस पर कई बोरों में भरा कुल तीन क्विंटल 78 किलोग्राम अवैध गांजा मिला। बरामद गांजा की कीमत कुल 81 लाख है। उन्होंने बताया कि कंटेनर के चालक सोन पाल समेत कुल पांच के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रवाल ने बताया की पकडे गए सोन पाल ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि एटा जिले के रहने सलीम और चमन खान गांजा ओडिशा से तस्करी कर लाए हैं।

लैब टेक्नीशियन की मौत पिता बोले- बेटे की हत्या हुई, एपीटीसी में वेतन विवाद पर धक्का देने का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में मंगलवार को कोतवाली नगर इलाके में स्थित एपीटीसी परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर लैब टेक्नीशियन मनीष साहू की मौत का मामला गरमा गया है बुधवार को मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक से मिले और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि मनीष साहू अवंतिका कांट्रेक्टर कंपनी में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। निर्माणाधीन भवन में कार्य के दौरान उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां से कथित तौर पर धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया इस घटना में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता सुरेश साहू, जो जनपद ललितपुर के निवासी हैं, ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एम.एस. रेड्डी और मैनेजर रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने बताया कि उनके बेटे को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और बीते चार महीनों से वेतन नहीं दिया गया था जिसे लेकर आए दिन विवाद होता रहता था पिता के अनुसार, घटना वाले दिन भी वेतन को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद दोनों आरोपितों ने मनीष को ऊंचाई पर ले जाकर धक्का दे दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि एपीटीसी परिसर में बन रही ऊंची इमारतें बिना किसी सुरक्षा मानकों के बनाई जा रही हैं।

निर्माण स्थल पर न तो सेफ्टी गार्ड, हेलमेट और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध थे और न ही श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस इंतजाम किए गए थे इसी लापरवाही के चलते पहले भी कई बार हादसों की आशंका जताई गई थी। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, आरोपित अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए वहीं, पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है!!

AHTU टीम ने प्राथमिक विद्यालय में चलाया जागरूकता अभियान

● मिशन शक्ति, बाल श्रम उन्मूलन व 'बचपन बचाओ' पर बच्चों व अभिभावकों को दी जानकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर। जनपद में महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियानों के तहत थाना AHTU बलरामपुर द्वारा गुरुवार को थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान, बाल श्रम/भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान तथा 'बचपन बचाओ' आंदोलन के अंतर्गत संपन्न हुआ।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती ज्योति श्री (नोडल अधिकारी–AHT) के पर्यवेक्षण में, थाना ।।ञ्ञ प्रभारी श्री सूरज कुमार के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 एवं बाल तस्करी से आज़ादी 3.0 अभियान के तहत यह जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चौपाल लगाकर बच्चों से किया संवाद

आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रजडेरवा थारू में चौपाल लगाकर छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी एवं मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

पुलिस टीम द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि बाल श्रम कराना कानूनन दंडनीय अपराध है और ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बच्चों से शिक्षा को प्राथमिकता देने और किसी भी प्रकार के शोषण से दूर रहने का आह्वान किया गया।

बाल विवाह न करने की दिलाई शपथ

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई तथा किसी भी आपात स्थिति में सहायता हेतु विभिन्न टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों 1098, 112, 1930, 1090, 1076, 108 एवं 181 की जानकारी दी गई।

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर प्रभारी थाना दुर्विजय, कांस्टेबल संजीत तिवारी, महिला कांस्टेबल ज्योति गुप्ता, आरक्षी चालक असलम सिद्दीकी सहित थाना कोतवाली गैसड़ी की पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए सभी लोग आगे आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

दो बाइक सवार भाइयों को तेज़ रफ़्तार अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर एक की मौके पर मौत दूसरा घायल

महराजगंज/रायबरेली। हरदोई जा रहे दो बाइक सवार भाइयों को आगरा एक्सप्रेस वे पर तेज़ रफ़्तार अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर एक की मौके पर मौत दूसरा घायल। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम व क्षेत्र में शोक की लहर। मंगलवार शाम को पूरे चोप सिंह मजरे सिकंदरपुर गांव निवासी रंजीत सिंह अपने छोटे भाई प्रदीप सिंह के साथ बाइक से किसी कार्य वश हरदोई जिला जा रहे थे 7 शाम लगभग पांच बजे उन्नाव जिले के बेहटा के पास आगरा एक्स्प्रेस वे पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी 7 टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दूसरा बाइक सवार प्रदीप सिंह घायल हो गया। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही परिजन देर रात उन्नाव जिला मुख्यालय स्थित मर्चरी पहुंचे। इस हादसे की जानकारी होते ही मृतक के परिजनों सहित समूचा क्षेत्र सदमे में हैं। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में ले लिया है। ग्राम प्रधान डब्बू सिंह ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा।

शिक्षणेत्तर कर्मचारी 16 जनवरी को विधान भवन करेंगे घेराव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय पर दिया धरना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ ने संयुक्त रूप से बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पर धरना दिया। संघ ने चेतावनी दी कि यदि लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 16 जनवरी को विधानसभा घेराव और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक हरिश्चंद्र दीक्षित ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ का मांग पत्र शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में अपर शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने लिया। उन्होंने वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री शिव बहादुर यादव के अवरुद्ध वेतन के मामले को गंभीरता से लिया।

जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर से फोन कर वेतन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। संघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पंवार ने प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि योग्यताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एलटी ग्रेड में शिक्षक पदों पर पदोन्नति दी जाए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाए।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रबंध समिति की बैठक संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। आज दिनांक 17.12.2025 को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रायबरेली में बहुप्रतिक्षित, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में संपन्न हुई समिति के सदस्यों में अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप जिलाधिकारी महराजगंज, प्रतिनिधि मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली, अधिषासी अभियंता (विद्युत वितरण खण्ड-2) रायबरेली, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक षिक्षाधिकारी प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय, प्राचार्या एस0जे0एस पब्लिक स्कूल महराजगंज, प्राचार्य डॉ एस0 पी0 त्रिपाठी सदस्य सचिव, उप-प्राचार्य डॉ यज्ञनाथ मिश्रा, जी0 पी0 मिश्रा, बिनीत कु0 पाठक,श्रीमती शफक शमसी, वरिष्ठ, सुनील कुमार सिंह, कार्या0 अधी0, अभिभावक राजू मिश्रा, विनीता सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ, दीप प्रज्जवलन एवं स्वागत गीत से हुआ।

बैठक में प्रबंध समिति की जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में विभिन्न बिन्दुओं पर प्राचार्य महोदय ने चर्चा की। जैसे विद्यालय में टूटी हुई सड़कों के निर्माण के संबंध में, ओवर हेड के विषय में, नव निर्मित छात्रावास की चहारदीवारी, बिजली के तारों के नवीनीकरण, छात्रावास में आरो मेगा प्लान्ट, 65 केवीए जेनसेट उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा हुई साथ ही विद्यालय के निकट बनी देषी शराब की दुकान हटाने के संबंध में तथा विद्यालय परिसर से बाहर की विद्यालय के जमीन पर अतिक्रमण को हटाने, विद्यालय परिसर में बने क्षतिग्रस्त स्टेडियम को बनवाने का आष्वासन दिया। जिलाधिकारी महोदया प्रषासन को उचित कार्रवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देषित किया।छात्रों द्वारा विज्ञान प्रदर्षनी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। छात्रों द्वारा ताइक्वाडों की प्रस्तुतीकरण की गयी एवं छात्रों ने अपने द्वारा बनायी गई पेंटिग को जिलाधिकारी महोदया को प्रदान किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत सभी कार्यक्रमों को जिलाधिकारी महोदया एवं सम्मिलित सभी अधिकारियों ने सराहना की। अंत में विद्यालय के प्राचार्य डॉ एस0पी0त्रिपाठी ने जिलाधिकारी महोदया तथा इस बैठक में सम्मिलित सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

नई दुल्हन घर आने पर सुअर की दी बलि केस दर्ज, वीडियो पर बदायूं के पशु प्रेमी ने की शिकायत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर 26 नवंबर वर्ष 2023 में चूहे का पोस्टमॉर्टम कराकर सुर्खियों में आए बदायूं के पशु प्रेमी और पेटा इंडिया के सदस्य विकेंद्र कुमार ने सीतापुर की नगर कोतवाली में पशु बलि देने की एफआईआर दर्ज कराकर एक बार सुखियों में आ गए है। मामला कोतवाली नगर इलाके का है। कोतवाली नगर में दर्ज एफआईआर में पशु प्रेमी विकेंद्र ने आरोप लगाया है कि बीती 23 नवंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे मोहल्ला गोदियाना मन्नी चौराहा में अज्ञात व्यक्ति के घर नई नवेली दुल्हन के आने पर सुअर की बच्चे बलि दी जाने की प्रथा को अंजाम दिया गया शिकायतकर्ता ने तहरीर के साथ एक वीडियो भी पुलिस को दिया है, जिसमें दो युवक सुअर के बच्चे को पटक पटक कर मारने के बाद उसे घर के अंदर ही जिंदा दफना देते है।

एसपी ने पशु प्रेमी की शिकायत पर मामले का संज्ञान लेते हुए मामले में कोतवाली नगर इलाके में मंगलवार देर रात मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता विकेंद्र कुमार का आरोप है कि पुलिस को घटना के दिन ही मामले की जानकारी दी गई थी लेकिन अगर पुलिस ने उसी दिन तत्परता दिखाई होता तो शायद एक बेजुबान की जान बच जाती हालांकि वायरल वीडियो और पशु की जान लेने वालो को पकड़ना और उसकी पहचान करना बड़ी चुनौती है पशु प्रेमियों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करदी है!!

माघ मेले में किसकी लगेगी ड्यूटी? अभी से हो गया तय, पुलिसकर्मियों की लिस्ट होने लगी तैयार

लखनऊ। प्रयागराज में अगले वर्ष तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में नशा न करने वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने पीएसी के सभी सेनानायकों और जिला पुलिस से उन पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है जो पूरी तरीके से फिट हैं और नशा नहीं करते हैं। जिन पुलिस कर्मियों के घरों में शादी जैसा कोई बड़ा समारोह है उन्हें ड्यूटी से दूर रखा जा सकता है। मेले में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों की भी तैनाती नहीं की जाएगी, क्योंकि ड्यूटी के दौरान प्रत्येक पुलिस, पीएसी व अन्य सुरक्षा बल के जवानों को मेडिकल किट के अलावा शस्त्रों से लैस रहना होगा। वहीं पुलिस के वाहन चालकों का मेडिकल कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो वाहन चालक नशा करते होंगे उन्हें भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। मेला स्थल पर दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया जाएगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत कोटडीह विकासखंड अमानीगंज जनपद अयोध्या

पत्रांक मेमो/ निविदा 2025-26

अल्पकालीन निविदा

वित्तीय वर्ष 2025-26 जनपद अयोध्या विकासखंड अमानीगंज के ग्राम पंचायत कोटडीह में मनरेगा योजना/राज्यवित्त/15 वाँ वित्त अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के कार्यस्थल पर सीमेंट, मोरंग, बालू, ईट ,ईंटगिट्टी,पत्थर गिट्टी,सरिया,लोहे का दरवाजा,खिड़की, टाइल ,पेंट, पुट्टी इत्यादि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है । इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनांक 19-12-2025 से 02-01 -2026 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कार्य दिवस में अल्पकालीन सील बंद निविदा जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 02-01-2026 को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के समक्ष खोली जाएगी । प्रतिबंध नियम शर्ते एवं अन्य विवरण कार्यालय कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं । कार्य का विवरण निम्नलिखित हैं।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	ग्राम पंचायत कोटडीह में P.D.S शॉप और जन सुविधा केंद्र निर्माण कार्य	8.85 लाख

नोट - सामग्री की आपूर्ति आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है

महेश कुमार
ग्राम पंचायत सचिव
विकासखंड अमानीगंज जनपद
अयोध्या

श्रीमती पुष्पा ओझा
ग्राम प्रधान
विकासखंड अमानीगंज जनपद
अयोध्या

संक्षिप्त खबरें

निजी नलकूप में फंदा लगाकर युवक ने दी जान, पुलिस जांच में जुटी

हमीरपुर– सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बरुआ गांव में एक युवक द्वारा निजी नलकूप में फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतक की पहचान 34 वर्षीय अमरीश पुत्र सत्यनारायण निषाद निवासी बरुआ गांव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अमरीश बोलेरो वाहन चलाने के साथ-साथ खेती-बाड़ी के कार्यों में भी परिवार का सहयोग करता था। वह परिवार की आजीविका का प्रमुख सहारा था।परिवार के लोगों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से अमरीश परेशान और गुमसुम रहने लगा था। हालांकि उसने किसी से खुलकर अपनी परेशानी साझा नहीं की थी। घटना के पीछे क्या कारण रहे, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।मृतक अपने पीछे पत्नी पुष्पा देवी, एक पुत्री गौरी तथा दो पुत्र आदित्य और अनिकेतन को छोड़ गया है। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर है।थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

किशोरी का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में वांछित मौलवी गिरफ्तार

हमीरपुर– मझगवां थाना क्षेत्र में पुलिस ने किशोरी का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में वांछित चल रहे एक मौलवी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मझगवां थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान महोबा जनपद के जैतपुर बेलाताल कस्बा निवासी 60 वर्षीय जब्बार उर्फ हाफिज जी उर्फ मौलवी पुत्र अकबर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 19 जुलाई 2025 को मझगवां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था और लगातार फरार था। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक किशोरी को बहला-फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी महोबा जनपद के बेलाताल जैतपुर कस्बे में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आवश्यकतानुसार अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं।

अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत, परिजनों में मातम

हमीरपुर– राठ कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई। खेत से काम करके घर लौट रही महिला को धनौरी गांव के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका की पहचान धनौरी गांव निवासी तुलसारानी पत्नी दयाशंकर कुशवाहा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, तुलसारानी खेत से काम निपटाकर धनौरी मंडी के पास से अपने घर की ओर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में महिला को तत्काल राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तुलसारानी को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची। बुधवार को पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के घर में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेसुध हो गए। मृतका के पुत्र नारायण कुशवाहा सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। राठ कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि वाहन

अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त गरजा बुलडोजर

● एसडीएम नेहा मिश्रा के नेतृत्व में मंडी समिति की जमीन से हटाए गए अवैध कब्जे, मौके पर मौजूद रहा पुलिस बल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कर्नलगंज, गोंडा। नवीन मंडी कर्नलगंज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कर्नलगंज नेहा मिश्रा के नेतृत्व में मंडी समिति परिसर में लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अमला और पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि नवीन मंडी करनैलगंज की जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे किए गए हैं, जिससे मंडी के संचालन और किसानों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। जांच के बाद अतिक्रमण को चिन्हित किया गया और नोटिस देने के उपरांत बुधवार को कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम नेहा मिश्रा स्वयं मौके पर मौजूद रहीं और पूरी कार्रवाई की निगरानी की।

बुलडोजर के जरिए अस्थायी दुकानों, टीन शेड और अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन की सख्ती देखकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। एसडीएम नेहा मिश्रा ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में दोबारा अवैध कब्जा किया गया तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंडी समिति की जमीन किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए है, उस पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सख्त है। मंडी में आने वाले किसानों और व्यापारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि अतिक्रमण हटने से मंडी में व्यवस्था सुधरेगी और आवागमन आसान होगा।

किसान दिवस जिला मुख्यालय से बाहर आयोजित करने की मांग, भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुरः– भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के बैनर तले किसानों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। संगठन ने जिलाधिकारी घनश्याम को ज्ञापन सौंपकर किसान दिवस के आयोजन को जिला मुख्यालय से बाहर, किसानों की सुविधा के अनुसार आयोजित करने की मांग की है। ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को आयोजित होने वाला किसान दिवस किसानों की समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन जिला मुख्यालय दूर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश किसान इसमें शामिल नहीं हो पाते। दूरी, आवागमन की समस्या और खर्च के कारण छोटे व सीमांत किसान अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने सुझाव दिया कि किसान दिवस का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र या तहसील स्तर पर किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकें। संगठन का कहना है कि किसान दिवस का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब किसान बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी कर सकें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो।

ज्ञापन में जिले की विभिन्न तहसीलों में किसानों की गंभीर समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। बताया गया कि मौदहा तहसील क्षेत्र के कई गांवों में फसलों को जंगली जानवरों से भारी नुकसान हो रहा है। आए दिन नीलगाय, जंगली सूअर व अन्य जानवर खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया और किसान दिवस के आयोजन में बदलाव नहीं हुआ, तो संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के जिला व तहसील स्तर के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है, ताकि किसान दिवस वास्तव में किसानों के हित में सार्थक सिद्ध हो सके।

किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भाकियू ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर ब्यूरो– कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित मासिक जिलास्तरीय किसान दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) द्वारा किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोल चबूतरा परिसर में आयोजित इस संगोष्ठी में जिलेभर से पहुंचे किसानों ने अपनी समस्याएं साझा कीं और उनके स्थायी समाधान की मांग की।

संगोष्ठी में प्रमुख रूप से अन्ना पशुओं से फसल संरक्षण, खाद की किल्लत, समय पर बीज व उर्वरक उपलब्ध न होने जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। भाकियू पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करेगा और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग करेगा।

कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक विस्तार करते हुए सोना देवी को भारतीय किसान यूनियन की जिला महिला महामंत्री पद पर मनोनीत किया गया। सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई देते हुए किसानों के हित में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई।

इसके उपरांत भाकियू प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शिवपूजन निषाद सहित भूपेंद्र भदौरिया, संतोष निषाद, सैय्यद शहबाज अली, रज्जू कुशवाहा, निर्मला देवी, पारस सैनी, शिवम यादव, शिवकरण मिश्रा, वीरेंद्र कुमार एवं अरविंद गोस्वामी समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

रतनपुर/महराजगंज। परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसहनिया उर्फ शीशमहल में बुधवार की देर शाम लगभग 6 बजे एक महिला का शव काली माता मंदिर के पास सागौन के पेड़ में फंदे से लटकता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुट गई। जानकारी के अनुसार परसामलिक थाना क्षेत्र के सिसहनिया उर्फ शीशमहल निवासी पप्पू अग्रहरि की पत्नी सुधा अग्रहरी उम्र लगभग (40) का शव संदिग्ध अवस्था में गांव के उत्तर काली माता मंदिर के बगल में सागौन के पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ। लटकते हुए शव को देखकर ग्रामीणो ने परिजनों को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची परसामलिक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। तत्पश्चात घटना की सूचना पर सीओ नौतनवां अंकुर गौतम को दिया। मौके पर पहुंच कर सीओ ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का निर्णय लिया।बताया जा रहा है कि मृतका की एक पुत्री रीना (15) व पुत्र विशाल (10) है। मां के मौत के बाद दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मिशन जलोदय के तहत चन्द्रावल नदी पुनरोद्धार का शुभारम्भ, एक जनपद-एक नदी के संकल्प को मिली गति

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर– जलोदय जल अभियान के अंतर्गत तहसील मौदहा के ग्राम पंचायत पढ़ौरी में बुधवार को चन्द्रावल नदी के पुनरोद्धार कार्य का भूमि पूजन कर शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (जलशक्ति विभाग) एवं जनपद के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने जनपद के जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया।इस अवसर पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने मिशन जलोदय की कार्ययोजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आवाहन पर ओडीओपी की तर्ज पर एक जनपद-एक नदी के पुनरोद्धार का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि मिशन जलोदय की शुरुआत आज से एक वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके तहत तालाबों, अमृत सरोवरों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण का व्यापक अभियान चलाया गया।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि बीते एक वर्ष में जनपद में 5000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया, जिससे खेतों का जलस्तर बढ़ा है। नवीन भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार जनपद के चार विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी से बाहर आ चुके हैं। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप कई फसलों के उत्पादन में 1100 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि जनपद की जीवनदायिनी चन्द्रावल नदी का पुनरोद्धार अत्यंत हर्ष का विषय है। यह ऐतिहासिक नदी हमीरपुर जनपद में लगभग 68 किलोमीटर की यात्रा करती है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि जनपद की ऐतिहासिक एवं पौराणिक नदियों को पुनर्जीवित किया जाए। यह अभियान जनभागीदारी से सफल होगा। उन्होंने कहा कि नदियों और तालाबों का पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व सदियों से रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नदियों व तालाबों के किनारे अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिन्हें पर्यटन से जोड़े जाने की आवश्यकता है। कभी आस्था का केन्द्र रही चन्द्रावल नदी आज विलुप्ति के कगार पर है, इसलिए इसका पुनरोद्धार समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में जिला पंचायत

अध्यक्ष जयन्ती राजपूत, विधायक सदर डॉ. मनोज कुमार प्रजापति, भाजपा जिलाध्यक्ष शकुन्तला निषाद, मुख्य विकास अधिकारी अरूण कुमार सिंह, डीसी मनरेगा राघवेन्द्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, उद्यमी, खनन पट्टाधारक, ग्राम प्रधान, पत्रकार बंधु, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

दिल्ली: बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 साल की सजा

नई दिल्ली। तीस हजारी की एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी सूरज कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने जो अपराध किया है, वह गंभीर है और इसका पीड़ित पर गहरा मानसिक और शारीरिक असर पड़ा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित को 10.50 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए। इस रकम का इस्तेमाल पीड़ित के पोषण, काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए किया जाएगा। चूंकि आरोपी के पास भुगतान करने की क्षमता नहीं है, इसलिए यह रकम दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के जरिए सीधे पीड़ित के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। घटना के समय पीड़ित 10 साल की थी और अब 13 साल की है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मां घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती है। पीड़ित अपने दादा-दादी के साथ रहती है। कोर्ट ने पाया कि बच्चे को कोई शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन यौन उत्पीड़न की घटनाएं कई बार हुईं। दोषी सूरज कुमार सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था।

सांसद के.लक्ष्मण ने नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को कहा युवाओं के प्रणेता, दी बधाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। ओबीसी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ.के.लक्ष्मण ने भाजपा के नव मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को युवाओं का प्रणेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में युवा समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। डॉक्टर लक्ष्मण ने नव मनोनीत युवा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का केंद्रीय कार्यालय में जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक युवा के हाथों में राष्ट्रीय संगठन की बागडोर देकर पार्टी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि युवा ही देश की असली ताकत है तथा वह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां योग्य,अनुभवी एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलता है। यहां परिवारवाद नहीं है,जो एक स्वस्थ राजनीति की पहचान होती है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन एक योग्य,अनुभवी एवं ऊर्जावान युवा नेता है, जो पार्टी को नई बुलंदियों तक पहुंचने की भरपूर क्षमता रखते हैं। डॉ. लक्ष्मण ने कहा की श्री नबीन ने गत बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी तथा इसके पहले भी पार्टी द्वारा उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई उन्होंने अपनी लगन,मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां का भरपूर निर्वाह किया।

श्रीभूमि जिले के लालछड़ा 21 नंबर अंगनवाड़ी केवल नाम में ही मॉडल है

● छात्र-छात्राओं को विभिन्न सुविधाओं के साथ पीने के पानी की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है!

मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः वर्तमान सरकार ने प्रारंभिक बाल विकास की सफलता के लिए मॉडल अंगनवाड़ी केंद्र असम के विभिन्न जिलों में बनाए हैं, जिन अंगनवाड़ी की अभी भी आवश्यकता है, वही निर्माण कार्य चल रहा है। 1975 में समन्वित बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत शुरू किए गए ये केंद्र प्री-स्कूल बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन, उन्नत स्वास्थ्य सेवा और विकासात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इन केंद्रों पर बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और बाल्यकाल शिक्षा से संबंधित आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के लालछड़ा जीपी के अधीन लालछड़ा 21 नंबर मॉडल अंगनवाड़ी शिक्षा केंद्र महत्वपूर्ण होने के बावजूद मॉडल केंद्र में शिक्षिका और छात्र विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। शुद्ध पीने के पानी की कमी और बिजली कनेक्शन से वंचित! इस स्कूल की एक शिक्षिका ने कहा, 'हमारे आंगनवाड़ी का छत का हिस्सा टूटकर गिर रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बच्चों को डर-डर कर पढ़ाई कराई जा रही है क्योंकि अगर छत का कोई टुकड़ा सिर पर गिरा तो क्या होगा, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्लास के दरवाजे और टॉयलेट के दरवाजे लगाने के लिए सही व्यवस्था या कुंडली भी नहीं है, दरवाजा कैसे बंद करेंगे, शौचालय में पानी की कोई सुविधा नहीं है। इस बीच यह जानकारी मिली कि मॉडल आंगनवाड़ी स्कूल का निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ था और वर्तमान सरकार ने इस पर 25 लाख रुपये खर्च किए। लेकिन इतने खर्च होने के बाद भी तीन साल में निर्माण कार्य अभी तक सही ढंग से और गाइडलाइन के अनुसार पूरा नहीं हुआ, इसलिए निर्माण की स्थिति खस्ता और बुरी है। मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में निम्न गुणवत्ता के सामग्री का उपयोग नहीं किया गया, यही वजह है कि यह इतनी बुरी स्थिति में है। देखा जा सकता है कि स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र का भवन अन्य मॉडल स्कूलों की तुलना में छोटा है। इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि स्कूल निर्माण कार्य में सरकार के पैसे का कोई उचित उपयोग नहीं हुआ। शिशु शिक्षा विकास के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन यह पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। यह केवल नाम में मॉडल है, लेकिन बच्चों को मॉडल की सुविधाओं से वंचित रखा गया है! उन्हें सही सेवा नहीं मिल रही। बच्चों के अभिभावकों ने कहा असंतोष को प्रकट करते हुए कहा कि जो सुविधाएं आवश्यक और जरूरी हैं, उनके लिए पानी का प्रबंध नहीं है, बच्चों को पानी अपने घर से लाना पड़ता है। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जारी है। विभिन्न समस्याएँ गंभीर हैं। इस संदर्भ में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और शिक्षा मंत्री रनोज पेगु का ध्यान आकर्षित किया गया ताकि बच्चों के भविष्य और जनकल्याण के हित के लिए सही कदम उठाए जा सकें।

हाईस्कूल छात्रा की आत्महत्या,परिवार में मचा कोहराम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुरः– मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पढ़ोरी गांव में मंगलवार शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां 15 वर्षीय हाईस्कूल छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खेत से लौटे माता-पिता ने बेटी को कमरे में फंदे से लटका देखा, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। आनन-फानन में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतका नेहा पुत्री राकेश निषाद कस्बे के नेशनल इंटर कॉलेज में कक्षा दस की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार, नेहा मंगलवार को रोज की तरह स्कूल से घर लौटी थी। जिस समय उसने यह कदम उठाया, उस समय उसके माता-पिता खेत पर काम करने गए थे, जबकि घर में केवल उसकी बुजुर्ग दादी मौजूद थीं। घटना के समय घर में किसी को भी आत्महत्या की भनक तक नहीं लगी। शाम को जब राकेश निषाद और उनकी पत्नी खेत से घर लौटे तो उन्होंने बेटी को एक कमरे में साड़ी के फंदे से लटका पाया। बेटी की हालत देखकर परिजन बदहवास हो गए और तत्काल उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता राकेश निषाद ने बताया कि बेटी के इस कदम के पीछे उन्हें कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोसी छोटे लाल ने बताया कि राकेश निषाद के पास करीब चार बीघा खेती की जमीन है, जिससे परिवार का पालन-पोषण होता है। परिवार पहले से ही एक बड़े हादसे का दंश झेल चुका है। करीब तीन वर्ष पूर्व उनके सात वर्षीय बेटे नितेश की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। नेहा मंगलवार शाम करीब चार बजे स्कूल से सकुशल घर लौटी थी, लेकिन अचानक उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत

मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र में भोपा बाईपास पर एक अज्ञात तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृत महिलाओं की पहचान राजवीरी (47) और बबली (45) के रूप में हुई है, जबकि सोनिया (23) गंभीर रूप से घायल हो गई। नई मंडी के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राजू कुमार साव ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को तब हुई, जब महिलाएं सड़क पार कर रही थीं। सीओ ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मथुरा हादसे में राठ के नौरंगा गांव की निवासी महिला की मौत व लींगा के दो युवक हुए गम्भीर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर– राठ तहसील क्षेत्र के नौरंगा गांव की निवासी पार्वती नाम की एक महिला की मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में बस में आग लग जाने से जलकर मौत हो गई है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे के दौरान एक मां ने ममता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। 42 वर्षीय पार्वती ने अपने दोनों बच्चों को जलती बस से बाहर फेंक दिया। उसने अपने बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद उस आग के दरिया से बाहर नहीं निकल सकी और उसकी मौत हो गई।

हमीरपुर के राठ तहसील क्षेत्र के नौरंगा गांव की रहने वाली पार्वती अपने बच्चों प्राची और शनि के साथ नोएडा से पति गोविंद के पास लौट रही थी। सफर सामान्य चल रहा था,किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में जिंदगी मौत में बदल जाएगी। अचानक बस की टक्कर हुई और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। चारों ओर चीख-पुकार मच गई। धुएं और लपटों के बीच पार्वती ने मां होने का फर्ज निभाया। उसने बस का शीशा तोड़ा और किसी तरह अपने दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया। बच्चों को सुरक्षित देखकर उन्हें शायद पल भर का सुकून मिला, लेकिन उसी दौरान कांच का टुकड़ा उनके गले में फंस गया। आग और धुएं के बीच वे बस से बाहर नहीं निकल सकीं। वहीं इसी हादसे में राठ कोतवाली क्षेत्र के लींगा गांव के निवासी ऋषिकांत गुप्ता पुत्र सुखलाल गुप्ता और अनिल अहिरवार भी गंभीर रूप से घायल

हो गए हैं। दोनों युवक मजदूरी करने के लिए स्लीपर बस में सवार होकर गुड़गांव और दिल्ली जा रहे थे। अग्निकांड में दोनों युवकों के बैग मोबाइल और पूरा सामान भी जल कर राख हो गया है। इस हादसे में अब तक 13 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।